



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082025-265418
CG-DL-E-14082025-265418

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3615]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947

No. 3615]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3707(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (NH157) के कि.मी 151.640 से 157.500 किमी तक (आस्का टाउन) के उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH157 के कि.मी 151.640 से 157.500 किमी (आस्का टाउन) तक भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	तहसीलदार, आस्का	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH157	उड़ीसा	गंजाम	आस्का	1 देवा भूमि 2 चड़ियापल्ली 3 कालसंढपुर

		के कि.मी 151.64 से कि.मी 157.5 तक				4	बोदरसिंग
						5	पाटलि गुडा
						6	सुनाम्बा
						7	पंकलाबाड़ी
						8	घासिबिली
						9	दामोदरपल्ली
						10	आस्का दामोदरपल्ली
						11	कमससना

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2025

S.O. 3707(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for "Construction of By-pass road Aska Town from km. 151.640 to 157.500" on NH-157 in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway "Construction of By-pass road Aska Town from km. 151.640 to 157.500" on NH-157 in the State of ODISHA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	Tahasildar, Aaska	NH157 KM 151.64 TO KM 157.5	ODISHA	GANJAM	ASKA	1	Deba bhumi
						2	Chdiapalli
						3	Kalasandhapur
						4	Bodarsing
						5	Patali guda
						6	Sunamba
						7	Pankalabadi
						8	Ghasibili
						9	Damodarpalli
						10	Aska damodarpalli
						11	Kamasasana

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

SHAIKH AMINKHAN, Director